कार्यालय—अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ
पत्रांक—वा0क0अधि0/न्या0का0वि0/ /दिनांकः: अगस्त 17,2022

—::परिपत्र::—

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

विगत माहों के न्यायालय कार्य विवरण पत्रों के अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश पीठों में अत्यंत ही पुरानी अपीलें निस्तारण हेतु लंबित है तथा पुरानी अपीलों में स्थगन की स्थिति भी चली आ रही है जबकि पूर्व अधिकारियों द्वारा समय—समय पर पुरानी अपीलों के निस्तारण हेतु दिशा — निर्देश जारी किये गये हैं किन्तु उन दिशा—निर्देशों को अनदेखा कर पुरानी अपीलों को निस्तारित करने में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

अतःसमस्त सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी पीठ में लंबित समस्त पुरानी अपीलों एकल व युगल का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें तथा विगत तीन माहों मई,2022 से जुलाई,2022 तक में निस्तारित पुरानी एक सदस्यीय एवं दो सदस्यीय अपीलों की सूची अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

ह0/17.08.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या::वा0क0अधि0/न्या0क0वि0/1212/2022,दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—समस्त सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश।
2—वरिष्ठ सहायक(विवरण)मुख्यालय,लखनऊ को गार्ड फाइल हेतु।
3—वेब अधिकारी,मुख्यालय,लखनऊ।

आज्ञा से

(तरूण कुमार)
निबन्धक
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ